प्रकरण संख्या 04/2023 अनवान जगसीर सिंह बनाम कालूराम अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 24.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-04/2023   **निर्णय दिनांक -24.10.2024**
(जी.सी.एम.एस.-2023/05)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान –

जगसीर सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति मजबीसिख निवासी 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

......**प्रार्थी**......

बनाम–

01– कालूराम पुत्र श्री शिम्भुराम जाति नायक निवासी 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

02– राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

.....**अप्रार्थीगण** ......

उपस्थिति–

01– श्री राममिलाप बिश्नोई, दलीप सिंह राठोड़, वकील प्रार्थी

02– श्री नवीन सोनी, वकील अप्रार्थी संख्या 01

03– पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 16 ता 19 व 25/1 में कुल 1.088 हैक्टर कृषि भूमि है, जिसकी सार सम्भांल काश्त प्रार्थी जगसीर सिंह करता है। प्रार्थी के इसी मुरब्बा नम्बर 19 में अप्रार्थी संख्या 01 कालूराम की किला नम्बर 6, 7, 11/2, 12, 13, 14 व 15 तथा किला नम्बर 20/2 की कृषि भूमि है। प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 1 से 21 तक मंजूर शुददा 33 फीट चौड़ी सड़क है, जिस पर खण्ड़वजा लगा हुआ है। प्रार्थी जगसीर सिंह अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिए मुख्य सड़के से अप्रार्थी संख्या 01 कालूराम के किला नम्बर 20 में से होकर जाता था परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 कालूराम ने अब यहा से आने जाने से मना कर दिया है। इसलिए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 कालूराम के किला नम्बर 20 में से रास्ता दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि काश्त [illegible]। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के [illegible] और कोई [illegible] है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने व कृषि औजारों को लाने ले [illegible] लिए और कोई भी रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी इस उक्त वर्णित भूमि में आने जाने एवं कृषि औजा[illegible]लाने ले जाने के लए प्रार्थी की जमीन के साथ चिपते अप्रार्थी संख्या 01 की [illegible] किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर 20 में एक विस्वा रास्ता मन्जूर करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले प्रतिफल अदा करने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए आवश्यकता है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सही रूप से काश्त कर सकेगा। प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए प्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 20 में 1 विस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये वकील जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न मिसल है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत 4 बीएलडी एवं पटवारी हल्का 8 बीएलएम-वी की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, प्रकरण दर्ज होने से पूर्व किला नम्बर 20 व 21 में से रास्ता का उपयोग किया जा रहा था नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। दर्शाए लघुतम रास्ता स्वीकृत करने पर खाला, वृक्ष नही है परन्तु मौके पर नजरी नक्शा अनुसार समाधि व छोटा मन्दिर बना हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 9 बीएलडी के पत्थर नम्बर 2010/399 (19) किला नम्बर 20/2 का 0.202 हैक्टर रकबा कालूराम पुत्र श्री शम्भुराम जाति नायक के नाम दर्ज है, रकबा पीएनबी शाखा श्रीविजयनगर के रहन दर्ज है वर्तमान में रकबा खाली है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 की भूमि में से होकर जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का खातेदारी रकबा वाके चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 16 ता 19 व 25/1 में कुल 1.088 हैक्टर कृषि भूमि तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने रकबा चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 16 ता 19 व 25/1 में कुल 1.088 हैक्टर कृषि भूमि को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक/स्वीकृत शुद्धा मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 में किला नम्बर 16 ता 19 व 25/1 में कुल 1.088 हैक्टर कृषि भूमि में प्रवेश के लिए चक 9 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 210/399 मु0न0 19 के किला नम्बर 20 में 1 बिस्वा रास्ता (समाधि के उत्तर दिशा की तरफ) स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 24/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुली न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner